कार्यालय जिला कलक्टर, जिला करौली

क्रमांकः– प0 सूप्रो. /2/ 2016–17 / 5346 दिनांकः– 18/07/2016

माननीय सांसद / विधायक / जिला प्रमुख / प्रधान

विषयः– भामाशाह योजना के अन्तर्गत सेवा प्रदायगी से सम्बंधित शंका / समस्याओं के समाधान हेतु शिविरों के आयोजन के संदर्भ में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण की महत्ती योजना ''भामाशाह'' की विगत समीक्षा के दौरान योजना के सुचारू संचालन एवं आमजन को आ रही समस्याओं / शंकाओं के समाधान हेतु विशेष शिविरों के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में राज्य भर में दिनांक 25.07.2016 से 05.08.2016 के मध्य पंचायत समिति स्तर पर समस्या / शंका समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगे–

1. बायोमैट्रिक सत्यापन से राशन लेने, कार्ड / अंगुली की छाप से राशि आहरण आदि का प्रदर्शन।
2. बैंकिंग लेन–देन एवं लाभ लेने में आ रही अन्य दिक्कतों का समाधान।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों से सम्बंधित शिकायतों का निराकरण।
4. सामाजिक सुरक्षा पेन्शन से सम्बंधित शिकायतों का निराकरण।
5. भामाशाह प्लेटफार्म से लाभ नहीं ले रहे लाभार्थियों को योजना से जोड़ना।

उपर्युक्त शिविरों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आमजन को शिविरों में आने के लिए प्रोत्साहित करने में आपका सहयोग अपेक्षित है साथ ही शिविर में पधार कर सफल आयोजन हेतु आपका मार्गदर्शन प्रदान करें।

जिले में पंचायत समिति वार शिविर आयोजन की समय सारणी संलग्न है।

भवदीय

जिला कलक्टर
करौली